11.05 म.पू.

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

फिरोजाबाद के निकट पुरूषोत्तम एक्सप्रेस और कालिन्दी एक्सप्रेस के बीच रेल दुर्घटना

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल के फिरोजाबाद स्टेशन पर 20.8.1995 को 02.55 बजे 4023 कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से के साथ 2801 पुरूषोत्तम एक्सप्रेस की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी नहीं है। फिरोजाबाद इलाहाबाद के पास नहीं है वह दिल्ली के पास है, आगरा के पास है। बड़े दुःख की बात है कि प्रधानमंत्री के पास रेल विभाग होने के बावजूद इनको पता नहीं है कि फिरोजाबाद कहां है। ये इलाहाबाद के पास कह रहे हैं। ..... (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : प्रधानमंत्री जी वहां गये तक नहीं, यहां उत्सव मना रहे थे। ..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह इलाहाबाद मण्डल में है।

(व्यवधान)

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह दुर्घटना तब हुई जब फर्रूखाबाद से दिल्ली की ओर चल रही 4023 कालिंदी एक्सप्रेस के नीचे एक पशु के कुचले जाने के कारण हौज पाइप अलग हो गया और गाड़ी को फिरोजाबाद स्टेशन के अग्रिम स्टार्टर के निकट रुकना पड़ा।

इसी दौरान, 2801 पुरूषोत्तम एक्सप्रेस जिसे सभी सिगनल हरे मिले और जो उसी लाइन पर चल रही थी कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई जिसके परिणामस्वरूप पुरूषोत्तम एक्सप्रेस के 8 सवारी डिब्बों और रेल इंजन सहित कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले 5 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए और जिसके परिणामस्वरूप यातायात अवरूद्ध हो गया। इस दुर्घटना में नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 251 व्यक्तियों की जानें गई और 220 व्यक्तियों को चोटें आई। टूंडला, कानपुर, आगरा तथा दिल्ली से चिकित्सा उपस्कर सहित राहत गाड़ियां और डाक्टरों के दल तत्काल भेजे गए। इसके अलावा, टूंडला, आगरा, इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के स्थानीय अस्पतालों से स्थानीय डाक्टर एम्बुलेंसों सहित आए और घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। बाद में, घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया था जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

दुर्घटना के बारे में सूचना मिलने पर, श्री मल्लिकार्जुन, रक्षा राज्य मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, यातायात और बिजली तथा सलाहकार, सिगनल के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये। महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे चिकित्सा राहत तथा परिचालन बहाली के लिए विभागाध्यक्षों तथा डाक्टरों के दल के साथ पहले ही दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे।

दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है। फंसे हुए यात्रियों को दुर्घटना स्थल से एक विशेष गाड़ी द्वारा 8.25 बजे रवाना कर दिया गया था। घायलों तथा मृत यात्रियों के संबंधियों को दुर्घटना स्थल तक पहुंचाने के लिए विशेष गाड़ियों द्वारा प्रबंध किये गए हैं।

प्रथम दृष्टि में, दुर्घटना मानवीय चूक के कारण हुई है। रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए इसकी सांविधिक जांच करेंगे।

सभी रेल कर्मचारी तथा मैं इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना तथा घायलों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हमने ऐसा संकल्प पहले ही पारित कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे पास उन माननीय सदस्यों के नाम आ गए हैं जो पहले बोलेंगे। मैं श्री वाजपेयी जी से अनुरोध करूँगा कि वह अपना भाषण दें, बाद में श्री सोमनाथ जी और श्री पासवान जी बोलेंगे। उसके बाद अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय हमने नियम 184 के अधीन इस विषय पर चर्चा करने का नोटिस दिया है। हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। यह मात्र चर्चा का विषय नहीं है।

महोदय मैंने दो नोटिस दिए हैं। एक नियम 184 के अधीन इस विषय पर चर्चा करने का और दूसरा स्थगन प्रस्ताव के अधीन चर्चा का....(व्यवधान) हमने स्थगन प्रस्ताव तथा नियम 184 के अधीन इस विषय पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं। हम इन्डी प्रस्ताव के अधीन इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। यह मात्र चर्चा का मामला नहीं हैं.....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, स्थगन प्रस्ताव के अधीन ही इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : पीछे वाली ट्रेन में हम लोग थे। वहां दूसरी दुर्घटना होती। यह कोई मामूली फेलमोर नहीं है। जिस

रूट से हम लोग को पूर्वी एक्सप्रेस को लाया गया है। दूसरी दुर्घटना होती। एबंडेंट ट्रेक पर ट्रेन को लाया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जानते हैं कि यह ऐसा मामला है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे और इस तरह चर्चा करेंगे जिससे सभी माननीय सदस्यों की सन्तुष्टि हो....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने विभिन्न दलों के नेताओं से अध्यक्ष के कक्ष में मिलने का अनुरोध किया था। हमने इस पर चर्चा भी की। निःसन्देह इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यह ऐसा प्रश्न है जिसे सभी सदस्य चाहेंगे कि.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको ये सब चीजें कहने के लिए मौका दिया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे सदन की कार्यवाही चलाने की अनुमति देंगे ?

इस बात पर सहमति हुई थी कि हम शोक प्रस्ताव पारित करेंगे और मैं सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहूँगा और इसके तुरन्त बाद चर्चा आरम्भ कर दी जायेगी। अब यदि हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं तो कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगीं जिन पर मैं यहां सदन में चर्चा करना नहीं चाहूँगा। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है। कृपया सहयोग दें। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हम स्थगन प्रस्ताव के अधीन ही चर्चा क्यों करना चाहते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : इसका स्पष्टीकरण मैं आपको अपने कक्ष में दूंगा मैं यह सब यहां स्पष्ट नहीं कर सकता।

श्री श्रीकान्त जेना : यह बहुत गम्भीर मामला है। कृपया हमारी बात पर विचार करें।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सदन के समक्ष कौन सा प्रस्ताव है जिसके अधीन हम चर्चा आरम्भ कर सकें ? ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको यह पूरा अधिकार है कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की खामियों को उजागर करें। यदि आप नीति अथवा प्रौद्योगिकी की खामियों पर चर्चा करना चाहते हैं तो आपको इसकी अनुमति दी जायेगी। कुछ अन्य बातें भी हैं। श्री जेना, यदि आप बैठक में आते, तो आप यह मुद्दा नहीं उठाते। आप आने के लिए सहमत हो गए थे लेकिन आप नहीं आ सके। मैं बाद में आपको यह बात स्पष्ट करूँगा। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह रेल मंत्रालय द्वारा अपनाई गई नीति से सम्बन्धित मामला है।

श्री वसुदेव आचार्य : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं. ....(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम सब आपसे सहमत हैं। महोदय, हम इस विषय पर उसी रूप में चर्चा कर सकते हैं जैसा आपने निर्देश दिया है। हम स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं क्योंकि जहां प्रधानमंत्री ने कहा है कि 251 व्यक्ति मरे हैं वहां समाचार है कि 600 से अधिक लोग मरे हैं। हमारी चिंता तो यह है कि यदि प्रधान मंत्री दिल्ली में थे तो वह दुर्घटना स्थल पर क्यों नहीं गए ? यह बड़ी चौंकाने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय : आपको ये सब बातें कहने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : सबसे अधिक चौंकने वाली बात तो यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री ही गलत बयानी कर रहे हैं हम इस मामले को राजनीतिक तूल नहीं दे रहे हैं बल्कि हम तो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे राजनीतिक तूल दिया जाए। ....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण ही इतनी बड़ी त्रासदी हुई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल इस रेल गाड़ी में यात्रा कर रहा था। उसने स्वयं मुझे यह बताया कि 1,500 से अधिक लोग मरे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : गीता जी, आपको बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रश्न यह नहीं है कि कितने व्यक्ति मरे हैं....(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सरकार ने स्वयं इसे राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित क्यों नहीं किया ?

श्री अनिल बसु : सदन के समक्ष प्रस्ताव क्या है ?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : हमें परिस्थिति की गम्भीरता

की कहीं अधिक चिंता है। हमें सदन में चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। .....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : निःसन्देह हमने आपके कक्ष में चर्चा की थी जिसका मैं यहां सदन में उल्लेख करना नहीं चाहता। लेकिन हमने कहा था कि इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भी है। मेरा निवेदन है कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर तुरंत स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जानी चाहिए।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे दल के मेरे सहयोगी यहां मौन धारण किए हुए हैं तो वह आपके कक्ष में हुई चर्चा का सम्मान कर रहे हैं। मेरे दल के सदस्य विशेषकर उस क्षेत्र के प्रतिनिधि, जहां यह दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखी हैं। हमारे दल के नेता को ही विलम्ब हो गया क्योंकि इस दुर्घटना के कारण उनकी गाड़ी को देर हो गई। वह यहां विलम्ब से पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि अध्यक्ष के कक्ष में कोई निर्णय हुआ है तो हम उसका पालन करेंगे। हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे यह अपील है कि अब दो बातों का निराकरण करने की आवश्यकता है। पहली इस अत्यन्त गम्भीर और अभूतपूर्व दुर्घटना की समग्रता के बारे में चर्चा और दूसरी जो पहली बात से उद्भूत होती है और जो सदन के सम्मुख है कि सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही। हम सरकार को कैसे जिम्मेदार और जवाबदेह ठहरा सकते हैं यदि हम साधारण रूप से चर्चा करके इस विषय को यूं ही टाल दें? इसी से हमें रोष है। यदि इन दो बातों के बीच कोई निराकरण हो जैसा कि मेरे मित्र श्री सोमनाथ जी ने कहा है, यदि आप कोई ऐसा निर्देश देते कि माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद जो अब चर्चा आरम्भ होने जा रही है, उसे निन्दा प्रस्ताव का रूप दिया जाता, तो सदन सरकार की अवश्य ही निन्दा करना चाहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आपने बड़ी कृपा की कि प्रश्नकाल को सस्पेंड किया.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने जल्दी किया इसलिए शायद आप नाराज हो गए हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। सदन में कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब आपने प्रश्नकाल सस्पेंड कर दिया, तो क्या किसी नियम के तहत डिस्कशन शुरू होगी?

अध्यक्ष महोदय : हाँ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यदि नियम के तहत डिस्कशन शुरू होगी तो आपके सामने दो मोशन हैं - एक एडजर्नमेंट मोशन है जो हम लोगों ने दिया है और दूसरा हम लोगों ने रूल 184 के तहत दिया है। ये दोनों ऐसे मोशन हैं जिसमें कि गवर्नमेंट के ऊपर एकाउंटेबिल्टी फिक्स की जा सकती है। और हम इस बात को मान कर चलते हैं कि इसमें गवर्नमेंट टोटली फैल्योर है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी सदन में इस तरह के डिसकशन कई बार हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोगों का जनजीवन बिल्कुल असुरक्षित है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, लाला बहादुर शास्त्री जी उसके एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। इसी सदन में माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा देने का काम किया। आज यहां रेलवे मिनिस्टर नहीं हैं, वह लन्दन में हैं। प्रधानमंत्री जी इसके जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। यह रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से वहां पहुंचते भी नहीं हैं।. ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कहने के लिए आपको पावर नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मैं कहना चाहता हूँ कि हम डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन चर्चा सार्थक हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इसको आप एडजर्नमेंट मोशन के रूप में लें जिससे कि हम गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स कर सकें और गवर्नमेंट इसका ठीक से जवाब भी दे सके।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न लाइनमैन अथवा गार्ड का नहीं है जो जिम्मेदार हैं। प्रश्न रेलवे के विकास के प्रति सरकार की नीयत का है। प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार केवल रेल मंत्री के रूप में नहीं हैं, बल्कि सरकारी के मुखिया के रूप में भी हैं। रेलवे के विकास तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों के प्रति सरकार के रवैये का इस प्रकार भी दुर्घटनाओं से सम्बन्ध है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसी दुर्घटनाएं और यह अभूतपूर्व दुर्घटना जो कल ही घटी है, नहीं होती। अतः यह मृत लोगों के प्रति शोक व्यक्त करने का मामला नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति को अपने कर्त्तव्य पालन में ढील बरतने के लिए जिम्मेदार ठहराने का नहीं है। यह मामला है सरकारी क्षेत्र और रेलवे उद्यम के प्रति सरकार के रवैये का। विषय है सरकार की निन्दा करने का और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव उचित तरीका है। और सरकार को इसका उत्तर देना होगा। प्रश्न यह है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मैं यह जानना चाहता हूँ। मैं आपका नियमन चाहता हूँ कि यह किस रूप में चर्चा हो रही है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न मत पूछिए। आपको मुझसे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। आपको अगर पूछना है तो प्वाइंट आफ

आर्डर के रूप में पूछ सकते हैं। अब ये सारी प्रोसीजर की बातें यहां पढ़ाने लगूं तो मुश्किल हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है, हम लोग जानना चाहते हैं कि इसको किस रूप में लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं आपको बता दूंगा। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्रा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में दो प्रस्ताव लाए गए हैं। हमने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। हम चाहते हैं कि इस विषय पर तुरंत सदन में चर्चा होनी चाहिए कि इसमें खामी या कमी कहां पाई गई। इस देश में पहले से चार गुना अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। यदि इसके लिए सरकार को दोषी बताया जाए तो इसका कोई लाभ नहीं है....(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुसार मामले की जांच करने के पश्चात यह पाया गया कि लाइन मैन, जिसने हरी झंडी दिखाई, इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करनी है और अन्त में हम निर्णय लेंगे कि सरकार को क्या उपाय करने चाहिए।

हमने रेलवे के विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के संबंध में रेल बजट में चर्चा की। यदि उस चर्चा को फिर से उसी प्रकार शुरू किया जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इस समय तो इन मामलों पर चर्चा की जानी चाहिए कि क्या उपाय किए गए हैं 'ऐसी दुर्घटना क्यों घटित हुई', तथा कितने लोगों को किस प्रकार की राहत पहुंचाई गई है।

इस सम्मानीय सदन तथा माननीय प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और सदन की एक समिति दुर्घटनास्थल का तुरन्त दौरा करे और वह देखे कि वहां क्या हो रहा है। .....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं बोलना चाहूंगा.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य अपनी बात कह सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, दुर्घटना की गम्भीरता को देखते हुए आपने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया है। महोदय, आपने सदन के सदस्यों की भावनाओं का भी अनुमान लगा लिया है। इन सभी बातों को देखते हुए महोदय, हमारा स्थगन प्रस्ताव गृहीत कर लें। हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं क्योंकि सरकार की नीति ही इस तरह की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है। महोदय, दो महीने की अवधि के भीतर इस प्रकार की कई दुर्घटनाएं हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी सभी बातें कहने का अवसर मिलेगा।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और इस दुर्घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। महोदय, हमारा स्थगन प्रस्ताव गृहीत करें और स्थगन प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा आरम्भ कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में व्यवधान न डालें क्योंकि मैं ऐसा संलग्नशील व्यक्ति नहीं हूं कि मैं अपने वक्तव्य की कड़ी तुरंत जोड़ दूं और जब आप व्यवधान डालते हैं या फिर अपनी बहुमूल्य बात कहते हैं तो मैं आपकी उस बात को समझकर अपने वक्तव्य में कह सकूं।

आपको पता होगा कि इस विषय पर विशेषकर इन्हीं मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई थी। सभी नेताओं ने कहा था कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के अधीन चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन इन सब बातों या उद्देश्यों के लिए एक प्रक्रिया है और दुर्भाग्यवश मुझे सदन में उस प्रक्रिया के बारे में बोलना पड़ा था।

जब आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है तो उसे 4.00 म.प. पर लिया जा सकता है।....(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उसे त्यागा जा सकता है..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने फिर से शुरू कर दिया? मैं जब तक आवाज नहीं बढ़ाता, तब तक आप कोआपरेट नहीं करते, यह बात अच्छी नहीं है।

[अनुवाद]

ठीक है, एक बात है, फिर एक अपेक्षा यह रह जाती है कि जब आप स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देते हैं तो आप सरकार को समय देंगे आप जिस दिन इसे लाना चाहते हैं उस दिन 10.00 म.पू. से पहले केवल अध्यक्ष को ही नहीं बल्कि सम्बन्धित मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री को भी उसकी प्रतियां देनी होंगी ताकि मतदान की स्थिति आने पर वह अपने सदस्यों को तैयार कर सकें। दुर्भाग्यवश, मैं नहीं समझता कि ये बातें कर ली गई हैं। ....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : जी हाँ, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को नोटिस दिया है और नियमों के अनुसार मैंने चार प्रतियां दी हैं .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, आपने वे प्रतियां भले ही हमें दी हैं। लेकिन हम मंत्री महोदय को उसकी प्रति देने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्री महोदय को उसकी प्रति देना आपका कर्त्तव्य हो जाता है। ....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह तो हमेशा होता है.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त आप बहुत आक्रोश में थे। अतः मैंने समझा प्रश्नकाल स्थगित करके, तुरन्त बाद सदस्यों को अवसर दिया जाए। अन्यथा प्रश्नकाल को स्थगित करना आवश्यक नहीं था और हम प्रश्न काल की कार्यवाही जारी रखते। प्रश्नकाल स्थगित किए बिना ही प्रश्न कर आप सरकार को जिम्मेदार ठहराने का अपना कर्त्तव्य निभा सकते थे और स्थगन प्रस्ताव की मांग कर सकते थे। लेकिन हमारी दृष्टि से जब हमने इस मामले पर समिति में चर्चा की तो हमने यह सोचा कि इस मामले को लेकर सदस्यों में रोष हो सकता है। फिरोजाबाद से एक सदस्य मेरे पास आए और रोकर मुझ से कहा कि इस दुर्घटना के बारे में बोलना चाहते हैं। मैंने समझा कि मुझे उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए और इस मामले पर तुरंत चर्चा आरम्भ करनी चाहिए। इसलिए हमने यह निर्णय किया। अब या तो अध्यक्ष द्वारा इस पर निर्णय लिया जाए जिसके लिए उसको अधिकार सौंपे गए हैं या फिर सदन के सदस्यों द्वारा। मैंने ऐसा स्वयं अपने आप नहीं किया है। मैंने सदस्यों तथा नेताओं के साथ इस पर चर्चा की है। इसके बाद भी यदि विमति है तो ऐसे विषय पर चर्चा के लिए कोई प्रक्रिया अपनाना बहुत कठिन हो जाता है।

कृपया यह न करें। यदि आप यह कहते हैं कि इस दुर्घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है तो सरकार इसके लिए प्रक्रिया अथवा कोई तकनीक/प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में विचार करती। आपको इसका पूरा अधिकार है लेकिन यदि आप स्थगन प्रस्ताव पर जोर डालते हैं तो मैं आपसे प्रक्रिया अपनाने के लिए कहूँगा क्योंकि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, जिससे सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़े।

श्री राम विलास पासवान : हमने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने नोटिसों की 4 प्रतियां दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसकी प्रति मंत्री को देनी होती है न कि अध्यक्ष को।

श्री वसुदेव आचार्य : यह सदैव किया जाता है। विगत में भी ऐसा ही किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, मुझे खेद है। मैं शिक्षक नहीं हूँ। मैं प्रोफेसर भी नहीं हूँ कि आपको हर बार प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट करता रहूँ। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी रुचि किसमें है ? आपकी रुचि सरकार की आलोचना करना, उसे जिम्मेदार ठहराना है।

श्री वसुदेव आचार्य : हम आलोचना नहीं कर रहे हैं।

श्री श्रीकांत जेना : मुद्दा केवल यह है कि क्या सरकार.... .(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको यह सरकार के पास भेजनी होती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दूंगा लेकिन मैं इसे 4.00 म.प. पर लूंगा। मैं इसे तुरन्त नहीं लूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है सर, आप 4 बजे ही लीजिए ....(व्यवधान) एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यदि ऐसा होता है तो वह वित्तीय कार्यवाही शुरू करेंगे और उसे पूरा करेंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ।

श्री राम विलास पासवान : हम स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको समिति की बैठक में भी तो आना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपने हमें बुलाया नहीं, जिनको बुलाया वे गए.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जेना को बुलाया था.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : यह आपके ऊपर भी निर्भर है यह चार बजे का स्लॉट नहीं है.....(व्यवधान) चार बजे से पहले भी कर सकते हैं.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सरकार को कठिनाई में नहीं डालना चाहता। मैं इसे केवल 4 बजे लूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, इससे अजेंट.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। आप ऐसी बात के लिए मुझ पर दबाव न डालें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम आप पर दबाव नहीं डाल रहें हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है फोर्स नहीं कर सकते हैं .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार के पास पर्याप्त समय होता तो मैं यह कर देता। लेकिन इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया नियम 61 को देखें। आपको इन सभी बातों की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमें यह समझना चाहिए कि अध्यक्ष के विनिर्णयों पर हर बार चर्चा करना सदन की प्रथा नहीं बननी चाहिए। यह नहीं होगा। यह एक प्रथा बन गई है कि सदस्य मुझे से चाहते हैं कि मैं उन्हें यह स्पष्ट करूँ कि कानून क्या है। यह प्रथा नहीं बननी चाहिए। मैं यह कर रहा हूँ। यद्यपि यह मेरा स्वविवेक है। मेरा प्राधिकार है। फिर भी यह मैंने अपने स्वविवेक तथा प्राधिकार से नहीं किया है। मैंने यह सदन के सदस्यों से विचार विमर्श करने के पश्चात किया है। इसके बाद भी आप मुझसे प्रक्रिया अपनाने की बात करते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अध्यक्ष के निर्णय से तकरार कर रहे हैं। हम प्रक्रिया से लड़ रहे हैं। हम तथ्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि चार के बजाए अभी शुरू कर दीजिए.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम तो मात्र आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि नियम 61 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव 4 बजे या उससे पहले लिया जाए।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरा तो यही निवेदन है कि हम सरकार को कठिनाई में नहीं डाल रहे हैं। सरकार को इस घटना की पूरी जानकारी है। सरकार पूरी तरह तैयार है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने पहले ही वक्तव्य दिया है। सरकार के पास पूरी जानकारी उपलब्ध है। अतः आप इसे पहले और अभी ले सकते हैं। हम स्थगन प्रस्ताव पर अभी से चर्चा कर सकते हैं। सरकार को सभी बातों की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?....(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इससे पहले आपको नियम की जानकारी हो। मैं नियम पढ़ कर सुनाता हूँ इसमें कहा गया है कि आप इसे 4 बजे या इससे पहले भी ले सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, अगर सीरियस मैटर है और आप बोलना चाहते हैं....(व्यवधान) तो मैं कह रहा हूँ कि आपको बोलने देंगे....(व्यवधान) आप जो हैं बार-बार.....(व्यवधान)

श्री राजबीर सिंह : हम आपकी बात का आदर करते हैं। हमारा कहना यह है कि चर्चा प्रारम्भ होनी चाहिए।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने नेताओं को अपने कक्ष में बुलाया और हमने ब्यौरेवार चर्चा की कि हमे क्या प्रक्रिया अपनानी है। सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ था कि हमें इस विषय पर यथा शीघ्र चर्चा करनी चाहिए। यदि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के अधीन चर्चा करने का निर्णय किया गया होता, तो प्रश्न काल की कार्यवाही जारी रहती और स्थगन प्रस्ताव पर 4 बजे चर्चा आरम्भ करते। इस मामले पर भी चर्चा की गई थी और फिर सभी नेताओं ने यह महसूस किया कि 4 बजे तक चर्चा स्थगित करने के बजाए यह बेहतर होगा.....(व्यवधान) मैं केवल उस सहमति को स्पष्ट कर रहा हूँ जो की गई थी।

यह महसूस किया गया कि बेहतर होगा कि सदन की संवेदनाएं भेजने के पश्चात वक्तव्य दिया जायेगा। और आप वक्तव्य पर चर्चा करने की अनुमति देंगे और न कि स्पष्टीकरण जिसकी अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल सही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह निर्णय किया गया था कि चर्चा तुरन्त आरम्भ हो जायेगी क्योंकि एक अन्य महत्वपूर्ण मामला है जिस पर चर्चा की जायेगी और आपके कक्ष में उपस्थित सदस्य पहले ही सहमत हो गए थे और हम भी सहमत हो गए थे। हम वही प्रक्रिया अपना रहे थे। अब महोदय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यदि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता, तो प्रश्न काल चलता

रहता और चार बजे तक अन्य कार्यवाही भी चलती रहती फिर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ की जाती क्योंकि हम स्थगन प्रस्ताव के लिए तुरन्त तैयार नहीं हो पाऐ तो सरकार को स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद करने के लिए तैयारी करने हेतु कुछ समय देना होता है..... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप इसके लिए तैयार हैं.....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मडोदय, वे चर्चा के लिए तो तैयार हैं लेकिन स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं। असली समस्या यह है..... (व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : मडोदय यह निर्णय हुआ था कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य के तुरन्त पश्चात चर्चा करने की अनुमति दी जायेगी। यही निर्णय हुआ था।

अध्यक्ष मडोदय : यही ठीक है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उस प्रक्रिया के बाद मेरा आप से यह निवेदन है कि जिस प्रक्रिया के बारे में निर्णय किया गया था, यहां उसी का पालन किया जाए.....(व्यवधान)

अध्यक्ष मडोदय : श्री पवन कुमार बंसल इस बारे में बोलेंगे .....(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मडोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मडोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।....(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मडोदय, अब जब सदन इस बात से सडमत हो गया है कि इस अत्यन्त आवश्यक मुद्दे को पहले लिया जायेगा कि हमारी संवेदनाएं रेल दुर्घटना में हताहत लोगों के परिवारों तक भेजी जाएं। जन प्रतिनिधियों के रूप में हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। सर्वप्रथम कार्य था हमें अपनी शोक संवेदनाएं भेजनी और इस कार्य को प्राथमिकता दी गई। यहां तक कि प्रश्नकाल को भी स्थगित किया गया।

अब, इसके पश्चात सरकार की ओर से वक्तव्य भी दे दिया गया है यह सही है कि हम सभी आपके कक्ष में इस बात से सहमत हो गए थे कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस गम्भीर रेल दुर्घटना पर चर्चा करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी। इस विषय को उचित महत्व देने का एक यही तरीका था। लेकिन अब सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि आप सहमत हो गए है, सम्भवतः आप इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत हो गया है.....(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मडोदय, प्रश्न केवल यह है कि क्या स्थगन प्रस्ताव 4 बजे ही लिया जा सकता है या पहले भी लिया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में नियम 61 इस प्रकार है :-

"प्रस्ताव 'कि सभा अब स्थगित हो' 16.00 बजे या यदि अध्यक्ष, सभा में कार्य की स्थिति पर विचार करने के पश्चात ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय लिया जाएगा।"

मडोदय, मेरा निवेदन है कि इस बात से सहमत होते हुए कि इस चर्चा को आज सदन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसा कि नियम के मुताबिक आपको यह प्राधिकार और शक्ति प्राप्त है, सदन की भावना को देखते हुए नियम के अनुसार तकनीक का पालन नहीं किया जाना चाहिए और आपको इस बात से सहमत हो जाना चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव ले लिया जाए और इस पर चर्चा शुरू की जाए.....(व्यवधान)

अध्यक्ष मडोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष मडोदय, अब तक की भयंकरतम रेल दुर्घटना के बारे में चर्चा हो रही है। हमने चर्चा का आरम्भ ठीक किया है। जो लोग बेमौत मारे गये, उनके लिये शोक प्रकट किया, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अब चर्चा किस तरह से हो, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है और वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारे मित्र काम रोको प्रस्ताव पर जोर देना चाहते थे और मेरे दल के अनेक सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी है तो फिर आपके सामने जब हम मिले थे तो बात स्पष्ट कर देनी चाहिये थी कि हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चर्चा का ढंग काम रोको प्रस्ताव के जरिये होना चाहिये।

अभी भी अगर सदस्य चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको इसको स्वीकार करने में कठिनाई होगी। मगर कठिनाई उन लोगों को होती है जो एक बार निर्णय ले लिये जाते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं, वह मुश्किल में फंस जाते हैं। आखिर दुर्घटना का सवाल कोई दल का सवाल नहीं है। प्रतिपक्ष में कौन पहले ऐडजर्नमेण्ट मोशन देता है, इसका भी सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि बैलट होगा।

अध्यक्ष मडोदय : बैलट होगा, चार बजे चर्चा होगी। साढ़े छः बजे उसके ऊपर वोटिंग होगी। दो-ढ़ाई घण्टे ही मिलेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दो-ढ़ाई घण्टे मिलेंगे। पता नहीं किसका नाम निकलेगा।

श्री राम विलास पासवान : जिसका नाम निकलेगा, वह बोलेगा। इसमें क्या है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो बिना नाम के ही बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में हम जितनी चर्चा कर रहे हैं, रेल दुर्घटना की गंभीरता को उतना ही कम कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : ऐडजर्नमेण्ट मोशन के माध्यम से हम गंभीरता को बढ़ाना चाहते हैं। आप उसको कम कर रहे हैं। अपनी-अपनी पार्टी की राय होती है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : सदन सर्वोच्च है। हम निर्णय ले सकते हैं। कि किस रूप में यह चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अब यह विवाद जितना बढ़ता जा रहा है, बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। मैं यह नहीं चाहता कि यह विवाद खड़ा हो। अगर हमारे कुछ मित्र ऐडजर्नमेण्ट मोशन के माध्यम से इस दुर्घटना पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा तो इसको स्वीकार कर लें। एक अनुरोध और करूंगा कि अपने चैम्बर में बुलाकर फैसले मत करिये क्योंकि उन फैसलों का अगर पालन नहीं होता है तो उन फैसलों को करने का कोई अर्थ नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : निर्णय लेने का मुझे प्राधिकार है और मैं निर्णय ले सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ सदस्य और विद्वान सदस्य मुझे जो सहयोग दे रहे हैं, वह सदैव देते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : अब मेरे खड़े होने के बाद आपको बैठना है या आपके खड़े होने के बाद मुझे बैठना है?

श्री शरद यादव : आप ही बोलिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बताइए। मैं बाद में बोलूंगा।

श्री शरद यादव : मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतनी सफाई दे रहा था कि हम थोड़ा लेट हो गए थे। हमारी पार्टी से कोई नहीं आया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया था कि श्री जेना भाग लेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे किसी ने सूचना नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कार्यालय ने मुझे बताया कि श्री जेना बैठक में भाग लेंगे। फिर भी यह आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बिना वजह कोई प्रेस्टीज इश्यू मत बनाइए। वोटिंग के वक्त ही आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। इस अधिकार के लिए आपको यहां समय भी दिया जा रहा है और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर दिया गया है। सारे प्रोसीजर पर अगर आपको जाना है तो बहुत सारे ऐडजर्नमेंट नोटिसेज हैं। उनको बैलट करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। उसके बाद चार बजे वह शुरू करना पड़ेगा। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मेरे साथ सहयोग करने का आपका यही तरीका है, श्री वसुदेव आचार्य?

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं आपसे सहयोग कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया चुप रह कर आप मुझे सहयोग दें।

मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। यह दुर्भाग्य है कि मुझे सदन में ये नियम पढ़ कर सुनाने पड़ रहे हैं। नियम 61 और 62 इस प्रकार हैं:

"प्रस्ताव 'कि सभा अब स्थगित हो' 16.00 बजे या यदि अध्यक्ष, सभा में कार्य की स्थिति पर विचार करने के पश्चात ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय लिया जाएगा।

यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है तो वह 18.30 बजे या ऐसे अन्य समय, जो वाद-विवाद प्रारम्भ होने के समय से ढाई घंटे से कम न हो, प्रश्न रख सकेगा।"

हमें 4 बजे वाद-विवाद आरम्भ करना है और 6.30 बजे हमें मत डालना है। मैं यह सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर बजट पर चर्चा की जानी है और अनेक सदस्यों ने मेरे कक्ष में मुझे बताया कि वे कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करना चाहेंगे। और उन्हें इसके लिए पूरा अवसर दिया जाए।

फिर, आपने अपराधीकरण का मामला उठाया है। यह मामला भी हमारे पास लम्बित पड़ा है। अन्य मामलों पर भी चर्चा करनी है। फिर विधेयक भी पारित किए जाने हैं। इसलिए मुझे कार्य की समग्रता को ध्यान में रखना है। जब माननीय सदस्य सदन में बोलते हैं तो वे उसी विषय को ध्यान में रखते हैं जो उनके सामने होता है तथा दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान नहीं देते। जिन पर उन्हें चर्चा करनी होती है। अब यदि आप इसी विषय को महत्व देते हैं और अन्य विषयों को नहीं, तो यह अलग बात है। लेकिन यदि आप अन्य विषयों पर चर्चा करने के इच्छुक हैं तो यह बात पीठासीन अधिकारीयों के विवेक पर छोड़नी होगी, श्री बसुदेव आचार्य पर नहीं। वह तो अपनी ही बात पर रहते हैं। चाहे वह सही है या गलत जिसकी वाहर तो सराहना की जाती है लेकिन यहाँ सदन में मेरे लिए समस्या बन जाती है। अतः मेरी आपसे अपील है कि यदि आप इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में लेना चाहते हैं तो इसे 4 बजे उठाया जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि गाड़ियां नहीं पहुंची हो और हो सकता है कि सदस्यों को इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया हो। हम प्रश्न काल के तुरन्त बाद मिल रहे हैं और फिर कश्मीर का मामला भी उठाया जाना है। मैं जम्मू और कश्मीर का बजट लूंगा और समग्र प्रक्रिया का पालन करूँगा और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। अब मैं कोई और चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि मैं अब सदन के किसी वरिष्ठ सदस्य से इस बात पर सहमत नहीं हूँगा कि तथ्य के बजाए प्रक्रिया पर चर्चा करने से सम्भवतः विषय की गम्भीरता घट जायेगी। कृपया इस बात को समझें। क्या सरकार इस पर सहमत है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हाँ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम कश्मीर बजट लेंगे। .....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मान्यवर यह गम्भीर विषय है। यह क्या हो रहा है। ....(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, प्रश्नकाल क्यों नहीं? आपने क्वश्चन आवर सस्पेंड किया है, यह लिया जाए। ..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, प्रश्न काल का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल चला गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : नियमों का हवाला देकर मामले की गंभीरता को कम किया जा रहा है। वहां सैंकड़ों लोगों की जाने गई हैं। ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ऐसा नहीं है हम आपकी भावनाओं से पूरी तरह सहमत हैं और हमारी पूरी सिम्पेथी है, खासतौर से उन एम.पीज्. के लिए जहां पर एक्सीडेंट हुआ है।

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा : महोदय प्रश्न काल सहमति से स्थगित किया गया था।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय है। हम लोगों को मौका दिया जाए। ....(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : यह क्या हो रहा है? ये नेता आपके पास कुछ तय करते हैं और यहां कुछ बोलते हैं। ..... (व्यवधान)

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : हमको बोलने के लिए मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें किसी बात की चर्चा नहीं हो रही है। कश्मीर की भी चर्चा नहीं हो रही है और एक्सीडेंट की भी चर्चा नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

कृपया परिस्थिति को समझें सदन में किसी को तो निर्णय करना है, और यदि कोई निर्णय नहीं लेता है, तो कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा। ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : हमारी बात को तो सुना जाए।

श्री गुमान मल लोढा : क्वश्चन हावर सस्पेंड किया जाए।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : सर यह बहुत बुरा हो रहा है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मेरा एक अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : हमारा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर तो सुनिए। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाउस के सारे प्रोसिजर को इतना टेढ़ा-मेढ़ा

मत कीजिए। यह तरीका अच्छा नहीं है। आपको पूरी तरह से बोलने के लिए मौका दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश जिनकी जानें गई हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मगर आपको बोलने का मौका दिया। सिर्फ आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला, वह आर्डर में होना चाहिए। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न काल नहीं है। प्रश्न काल चला गया। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव : ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिये। ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है। आपके ऐसा करने से हाउस की सारी गरिमा चली जा रही है। ....(व्यवधान)

11.45 म.पू.

[अनुवाद]

सभापटल पर रखे गए पत्र

नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन तथा खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1995

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं श्री बलराम सिंह यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) नेशनल अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. - 8010/95]

(2) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) निमय, 1995, जो 4 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 580 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. - 8011/95]

भारत के राष्ट्रपति तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बीच द्वितीय अनुपूरक करार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक करार आदि।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और विकास के बारे में 9 जनवरी, 1987 के मूल करार तथा 8 जून, 1988 के प्रथम अनुपूरक करार में आंशिक संशोधन करने हेतु भारत के राष्ट्रपति तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बीच हुए द्वितीय अनुपूरक करार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. - 8012/95]

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी जल भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन विंग) विकास सलाहकार संगठन (समूह "क" और समूह "ख" अभियान्त्रिकी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995, जो 1 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 165 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. - 8013/95]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (जहाजों का टन भार मापन) संशोधन नियम, 1995, जो 13 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 240 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (संकटकालीन और सुरक्षा रेडियो संचार) नियम, 1995, जो 20 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 253 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. - 8014/95]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन